खंड ५ संख्या २४

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि २४ जून, १९६८

सत्यमेव जयते

... चटर्जी, अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
...वालय शाखा मुद्रणालय, बिहार, पटना में मुद्रित
१९६९

[मूल्य—३७ पैसे]

GOVERNMENT OF BIHAR
C
1969

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि २४ जून, १९६८

विषय-सूची पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर:

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या ५६,१०३,११० एवं ११७ .. १—१२

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३,३१४,३१५,३१६,३१७,३१८,३१९ तथा ३२१—३३०। १३—४२

परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) .. .. ४३—४९

दैनिक निबंध ५१

टिप्पणी—जिन मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिन्ह लगा दिया गया है।

३०७/१० एल०ए०

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सोमवार, तिथि २४ जून, १९६८

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा-सदन में सोमवार, तिथि २४ जून, १९६८ को पूर्वाह्न ९.३० बजे अध्यक्ष श्री घनिक लाल मंडल के सभापतित्व में प्रारंभ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर :

मिल-मालिक द्वारा मजदूरों की भविष्य निधि में अंशदान ।

५६। श्री सिया बिहारी शरण—क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि विष्णु सुगर मिल, गोपालगंज, सारन में एम्प्लाईज प्रोविडेंट फंड स्कीम लागू है;

(२) क्या यह बात सही है कि प्रोविडेंट फंड का कन्ट्रीब्यूशन कर्मचारियों के पूरे वेतन पर लिया जाता है और मालिक भी कर्मचारियों से ली गयी रकम के बराबर अपना हिस्सा देता है;

(३) क्या यह बात सही है कि श्रम अदालत, मुजफ्फरपुर ने रेफरेन्स नं० ४ ओफ १९६० के पंचाट (एवार्ड) द्वारा सर्वश्री मुरजी पुरोहित, गोपालदत्त ओझा, मूल सिंह, हरिराम शर्मा, पुरुषोत्तम लाल शर्मा, सत्यनारायण शर्मा और माता दीन शर्मा को पूरे वेतन के साथ काम पर रखने का आदेश दिया था;

(४) क्या यह बात सही है कि प्रबन्धक काम पर लेते समय जो वेतन का भुगतान किया उस पर उसने मजदूरों से प्रोविडेंट फंड कन्ट्रीब्यूशन लिया पर अपना हिस्सा नहीं दिया;

(५) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कौन-सा कदम उस पैसे को प्रबन्धक से जमा कराने के लिये सोच रही है ?

श्री रमापति सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(५) प्रबंधक के विरुद्ध अपने हिस्से का अंशदान नहीं देने के लिये मुजफ्फरपुर जिला न्यायालय में तिथि १९ सितम्बर १९६५ को एक मुकदमा दायर किया गया है जो चल रहा है ।

श्री सियाबिहारी शरण---यह मुकदमा तीन साल से चल रहा है । कब इसका फैसला होगा ।

अध्यक्ष---मुकदमा न्यायालय में चल रहा है ।

बहेड़ी के आरक्षी अवर-निरीक्षक के विरुद्ध आरोप

१०३। श्री वशिष्ठ नारायण सिंह---क्या मंत्री, राजनीति (पुलिस) विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि---

(१) क्या यह बात सही है कि श्री चुल्हाई लालदेव, क्षेत्रीय मंत्री, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, बहेरी (दरभंगा) ने बहेरी के आरक्षी अवर-निरीक्षक के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार, भयंकर ज्यादती के सम्बन्ध में पुलिस मंत्री, बिहार सरकार, पटना एवं आरक्षी अधीक्षक महोदय, लहेरियासराय (दरभंगा) के पास तारीख ८ नवम्बर १९६७ को अभियोग-पत्र प्रेषित किया था;

(२) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बतायेगी कि उस अभियोग-पत्र पर अबतक कौन-कौन-सी कारंवाई हुई है ?

श्री कृष्णकांत सिंह---(१) आरक्षी अधीक्षक, दरभंगा के पास बहेरी थाना के आरक्षी अवर-निरीक्षक के विरुद्ध जो अभियोग पत्र प्राप्त हुआ था वह दिनांक १६ नवम्बर १९६७ को प्रेषित किया गया था । तत्कालीन पुलिस मंत्री के पास दिये गये कथित अभियोग-पत्र राजनीति (आरक्षी) विभाग में प्राप्त नहीं हुआ है ।

(२) उक्त अभियोग-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच आरक्षी उपाधीक्षक, सदर, दरभंगा द्वारा आवेदक के समक्ष दिनांक १ फरवरी १९६८ को की गयी । [redacted] प्रमाणित नहीं हुए ।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह---आरोप-पत्र में उल्लिखित किन-किन बिन्दुओं पर जांच-पड़ताल हुई ?